संख्या II/12013/4/2005-रा.भा.(नी.-2)
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांकः 20 अक्तूबर, 2005.

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को शामिल किया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21 जनवरी, 1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/15/91-रा.भा.(क-2) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पिछले कुछ समय से भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी आदि को इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा । इस संदर्भ में अब यह निर्णय लिया गया है कि इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना को और व्यापक बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी को भी इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाए ।

2. तदनुसार इन्दिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से निम्नलिखित 6 श्रेणियों के लिए शील्ड/पुरस्कार दिए जाएंगे-

(1) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
(2) भारत सरकार के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
(3) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
(4) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड,
(5) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के लिए समेकित रूप से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड ,

(6) व्यक्तियों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार ।

3. उपरोक्त पांचवीं श्रेणी में शामिल बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के मुख्यालय, 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थितिवार, विचार क्षेत्र में होंगे । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे । पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने अधीन बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी के मुख्यालयों को परिचालित कर दें ताकि वे इस योजना में भाग ले सकें और राजभाषा के प्रगामी प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें ।

(बृज मोहन सिंह नेगी)
निदेशक (नीति)

प्रतिलिपिः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
3. निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ।
4. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ।
5. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ।
6. संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय ।
7. अनुसंधान एवं पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग ।